INVEST UP

POWERING NEW INDIA

Address :

4th Floor Block A PICUP Bhawan,
Lucknow, Uttar Pradesh 226010
Phone No.: +91-522-2720236, 2720238
Email: info[at]investup[dot]org[dot]in
Website - https://invest.up.gov.in/

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT

10-12 FEBRUARY, 2023

New India's Growth Engine

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022

प्रमुख बिन्दु

चार्जिंग सुविधाओं के निर्माण के लिए..

सेवा प्रदाताओं को पूंजीगत सब्सिडी:

- चार्जिंग स्टेशन (एक बार) न्यूनतम निवेश रु. 25 लाख पर प्रथम 2000 चार्जिंग स्टेशनों को प्रति इकाई अधिकतम रु. 10 लाख तक 20% की दर से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- स्वैपिंग स्टेशन (एक बार) न्यूनतम निवेश रु. 15 लाख पर प्रथम 1000 स्वैपिंग स्टेशनों को प्रति यूनिट अधिकतम रु. 5 लाख तक 20% की दर से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

सरकारी/निजी संस्थाओं को सरकारी भूमि प्रदान किया जाना: 10 वर्ष की अवधि के लिए रु. 1/केडब्ल्यूएच की दर से रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

अंगीकार करने के लिए

- <u>खरीदारों को पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट</u> -
  - नीति की अधिसूचना प्राख्यापित होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश में क्रय और पंजीकृत किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन पर शत प्रतिशत छूट।
  - उत्तर प्रदेश में निर्मित, क्रय एवं पंजीकृत किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन पर पॉलिसी अवधि के चौथे एवं पांचवें वर्ष में शत प्रतिशत छूट।
- <u>क्रय सब्सिडी योजना (एक बार)</u> - परिभाषित खंडों में निम्नलिखित दरों पर इस सब्सिडी योजना के लिए विशेष रूप से की गई अधिसूचना की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध।
  - 2-पहिया ईवी: प्रति वाहन रु. 5000 तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15% अधिकतम के अधीन। अधिकतम 2 लाख ईवी के लिए रु. 100 करोड़ की बजट सीमा तक।
  - 3-व्हीलर ईवी: एक्स-फैक्ट्री लागत का 15% प्रति वाहन रु. 12000 तक अधिकतम के अधीन। अधिकतम 50000 ईवी के लिए रु. 60 करोड़ की बजट सीमा तक।
  - 4-पहिया ईवी: एक्स-फैक्ट्री लागत का 15% प्रति वाहन रु. 1 लाख तक अधिकतम के अधीन। अधिकतम 25000 ईवी के लिए रु. 250 करोड़ की बजट सीमा तक।
  - ई-बसें (गैर-सरकारी अर्थात स्कूल बसें, एंबुलेंस आदि): एक्स-फैक्ट्री लागत का 15% @ 20 लाख प्रति वाहन अधिकतम के अधीन। 400 ई-बसों के लिए अधिकतम रु. 80 करोड़ की बजट सीमा तक।
  - ई-गुड्स कैरियर: एक्स-फैक्ट्री लागत का 10% प्रति वाहन 1,00,000 रुपये तक अधिकतम के अधीन। 1000 ई-गुड्स कैरियर्स के लिए अधिकतम रु. 10 करोड़ की बजट सीमा तक।

मैन्युफैक्चरिंग के लिए

<u>कैपिटल सब्सिडी</u> : बेस कैपिटल सब्सिडी को ग्रॉस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मल्टीपल (जीसीएम) से गुणा किया जाता है, जहां बेस कैपिटल सब्सिडी इस प्रकार है:

क्रम	श्रेणी	मानदंड	सब्सिडी की आधार पूंजी	सब्सिडी अवधि
1.	एकीकृत ईवी परियोजना	रु. 3000 करोड़ या उससे अधिक का निवेश, पहले 2 पर	पात्र निवेश पर 30%, अधिकतम रु. 1000 करोड़ प्रति परियोजना के अधीन	20 वर्षों की अवधि में
2.	अल्ट्रा मेगा बैटरी	रु. 1500 करोड़ या उससे अधिक का निवेश और 1 गीगाहाइट की न्यूनतम उत्पादन क्षमता, पहले 2 पर	पात्र निवेश पर 30%, अधिकतम रु. 1000 करोड़ प्रति परियोजना के अधीन	20 वर्षों की अवधि में
3.	मेगा ईवी परियोजना	रु. 500 करोड़ या उससे अधिक का निवेश; पहले 5 पर मात्र	पात्र निवेश पर 20%, अधिकतम रु. 500 करोड़ प्रति परियोजना के अधीन	10 वर्षों की अवधि में
4.	मेगा ईवी बैटरी परियोजना	रु. 300 करोड़ या उससे अधिक का निवेश; पहले 5 मात्र।	पात्र निवेश पर 20%, अधिकतम रु. 500 करोड़ प्रति परियोजना के अधीन	10 वर्षों की अवधि में
5.	वृहद ईवी परियोजनाएं	एमएसएमई से अधिक किंतु मेगा ईवी/बैटरी श्रेणी से कम का निवेश	पात्र निवेश पर 18%, अधिकतम रु. 90 करोड़ प्रति परियोजना के अधीन	10 वर्षों की अवधि में
6.	एमएसएमई परियोजनाएं	भारत सरकार एमएसएमई अधिनियम 2020 के अनुसार निवेश	पात्र निवेश पर 10% की दर, अधिकतम रु. 5 करोड़ प्रति परियोजना के अधीन	2 वर्ष की अवधि में

जीसीएम को प्रथम वर्ष के लिए एक माना जाएगा, यदि क्षमता उपयोग उस चरण में स्थापित अतिरिक्त क्षमता का 40 प्रतिशत है। अनुवर्ती वर्षों में जीसीएम एक होगा, यदि इकाई की कुल क्षमता उपयोग कुल स्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत है।

<u>स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति</u>

- एकीकृत ईवी परियोजना और अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजना के लिए शत प्रतिशत।
- मेगा/लार्ज/एमएसएमई परियोजनाओं के लिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में 100%, मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75% (गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर जनपद को छोड़कर) तथा गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद जनपदों में 50%।

<u>अन्य प्रोत्साहन</u>

- वृहद और एमएसएमई ईवी/बैटरी परियोजनाओं के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति यूनिट तक गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए शुल्क का 50% की दर से गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क की प्रतिपूर्ति (एक बार)।
- पेटेंट पंजीकरण शुल्क प्रतिपूर्ति (एक बार) घरेलू पेटेंट प्राप्त करने के लिए अधिकतम रु. 50,000 तक की लागत/व्यय के 75% की दर से और वृहद और एमएसएमई ईवी/बैटरी परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने के लिए रु. 2 लाख तक।
- कौशल विकास प्रोत्साहन के लिए अधिकतम प्रथम 50 कर्मचारियों को प्रति वर्ष रु. 5,000 स्टाइपेंड (एक बार) की प्रतिपूर्ति।

नोडल एजेंसी:

क : चार्जिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए – इनवेस्ट यूपी, आईआईडीडी

ख : अंगीकृत करने के लिए - परिवहन विभाग